



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2001/अग्रहायण 12, 1923

No. 883]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2001/AGRAHAYANA 12, 1923

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1191(अ).—केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 1181 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

(क) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“1	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं.7 [9.400 से 34.800 कि.मी. (हैदराबाद-बंगलौर) और 447.000 से 474.000 कि.मी. (नागपुर -हैदराबाद) को छोड़कर] सं.9 (विजयवाड़ा से मछलीपत्तनम खंड सहित) 217.0 से 266.4 कि.मी. (नंदीगांव से विजयवाड़ा तक) छोड़कर सं. 16, सं. 43, सं. 63, सं. 202, सं. 205 और सं. 219 का आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.18 और 214.	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ”

(ख) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
"2	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31, सं. 31सी, सं. 36, सं. 39, सं. 51, सं. 52 बी, सं. 54 [सिल्वर-वारंगटे (लैलापुर) खंड को छोड़कर], सं. 61, सं. 62, सं. 153, और सं. 154 का असम राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31बी, सं. 37 (146.000 से 164.395 कि. मी. तक गुवाहाटी बाईपास को छोड़कर), सं. 37 ए, सं. 38 और सं. 152	असम राज्य सरकार "

(ग) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
"3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2, सं. 19, सं. 28, सं. 31 [410.000 से 447.000 कि.मी. और 470.000 से 476.150 कि. मी. (पूर्णिया - गौयरकाटा) तक छोड़कर], सं. 80, सं. 81, सं. 98, सं. 99 का बिहार राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 ए, सं. 30, सं. 30ए, सं. 57, सं. 77, सं. 82 सं. 83, सं. 84, सं. 85, सं. 101, सं. 102, सं. 103, सं. 104, सं. 105, सं. 106 और सं. 107.	बिहार राज्य सरकार "

(घ) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
"4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 (रा. रा. 4 के जंक्शन से मुंबई तक 561.0 से 585.0 कि.मी. तक छोड़कर) सं. 6 (धुले से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खंड सहित), [149.80 से 166.0 कि.मी. तक (अमरावती बाइपास) छोड़कर], सं. 7, [9.200 से 64.000 कि.मी. तक (नागपुर-अदीलाबाद) छोड़कर], सं. 9, सं. 13, सं. 16, सं. 17 और सं. 69 का महाराष्ट्र राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50, सं. 204 और सं. 211.	महाराष्ट्र राज्य सरकार "

(ड) क्रम संख्या 4 क और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“ 4क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.14 [340.000 से 372.700 कि.मी. तक (आबू रोड -दीसा खंड) छोड़कर] सं.15 और सं. 59 का गुजरात राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.8ए, (कांडला से मांडवी खंड सहित) ,सं.8बी [143.000 से 160.000 कि.मी. तक (गोंडल-रिबडा खंड)छोड़कर] और सं. 8सी , सं. 8डी और सं.8ई.	गुजरात राज्य सरकार”

(च) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“ 6	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.17, सं. 47 [316.00 से 332.600 कि.मी. तक (अलूवा -अंगमाली खंड) छोड़कर] सं.49, सं.208, सं.212, सं.220 का केरल राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.47ए और सं. 213,	केरल राज्य सरकार”

(छ) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“7	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.3, [60.000 से 103.000 कि.मी. तक (आगरा -ग्वालियर) छोड़कर], सं.7, सं.12, सं.12ए, सं.25, सं.26, सं. 27, सं. 59, सं. 59ए, सं. 69, सं. 75, सं. 75 का विस्तार, सं.76, सं.78, सं.79, सं.86, और सं. 92 का मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.86 का विस्तार	मध्य प्रदेश राज्य सरकार”

(ज) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.4, [0.0 से 103.0 कि.मी. तक (चेन्नै से रानीपेट) छोड़कर], सं.7, [33.000 से 94.000 कि.मी. तक (होसूर से कृष्णागिरि) , 134.000 से 141.000 कि.मी. और 156.000 से 207.600 कि.मी. कृष्णागिरि - सलेम - मदुरै खंड , 248.165 से 259.230 (नमकल बाइपास), 292.400 से 306.400 (करूर बाइपास) को छोड़कर] और सं. 45ए [(तमिलनाडु /पांडिचेरी सीमा से नागपट्टिनम खंड सहित)] , सं.47, सं.49, सं. 66, सं. 205, सं.207, सं. 208, सं. 209, सं. 219 और सं. 220 का तमिलनाडु राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.7 ए, सं.67, सं. 68, सं. 45 बी और सं. 210	तमिलनाडु राज्य सरकार”

(झ) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.4, [0.0 से 592.0 कि.मी. तक (बंगलौर से कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा) छोड़कर], सं. 4ए, सं.7, [0.0 से 33.0 कि.मी. तक (बंगलौर से कर्नाटक - तमिलनाडु सीमा) और 524.000 से 556.000 कि.मी. (हैदराबाद-बंगलौर) को छोड़कर] सं. 9, सं. 13 (चित्रदुर्ग से मंगलौर खंड सहित)], सं.17, सं.63, सं. 207, सं. 209, और सं. 212 का कर्नाटक राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.48 , सं.206, और सं. 218	कर्नाटक राज्य सरकार”

(ट) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1, [212.000 से 387.100 कि.मी. तक (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर) छोड़कर], सं.1ए, [4.230 से 26.000 कि.मी. तक (जालंधर-पठानकोट खंड) को छोड़कर] , सं. 10, सं.15, सं.20, सं. 21, सं. 22, सं.70, और सं. 71 का पंजाब राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.64, (भटिंडा से डबवाली खंड सहित) और सं. 95	पंजाब राज्य सरकार”

(ठ) क्रम संख्या 11ए और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“11ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1, [29.300 से 212.000 कि.मी. तक (दिल्ली/हरियाणा सीमा से हरियाणा/पंजाब सीमा) छोड़कर], सं.10, सं.21ए, सं.22, सं. 64, सं. 65, सं.71, सं.72 और सं. 73 का हरियाणा राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.71ए	हरियाणा राज्य सरकार”

(ड) क्रम संख्या 11सी और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“11 सी	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1, [8.200 से 16.200 कि.मी. और 16.500 से 29.300 कि.मी. तक दिल्ली (मजनू का टीला के समीप) से (दिल्ली/हरियाणा सीमा) छोड़कर], सं. 10, और सं. 24 का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित खंड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार”

(ढ) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
“12	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.3, [30.885 से 51.000 कि.मी. तक (उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा से धौलपुर खंड) छोड़कर], सं.11, सं.12, सं.14, सं. 15, सं. 65, सं.65 का विस्तार सं. 76, (चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक छोड़कर), सं. 79 (नजीराबाद से चित्तौड़गढ़ खंड को छोड़कर) का राजस्थान राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.11ए, सं. 89 और सं. 90	राजस्थान राज्य सरकार”

(ण) क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2ए, सं.3 [8.00 से 30.885 कि.मी. तक (आगरा-यूपी/राजस्थान सीमा) छोड़कर], सं.7 सं. 11, सं. 19, सं. 24, [27.62 से 59.00 कि.मी. तक (हापुड़ बाइपास सहित गाजियाबाद-हापुड़) और 148.43 से 166.65 कि.मी. (मुरादाबाद बाइपास) को छोड़कर] , सं. 25, [11.380 से 75.500 कि.मी. तक (लखनऊ-कानपुर) को छोड़कर] सं.26, सं.28, सं. 58, सं. 72, सं.73, सं. 74, सं. 75, सं. 75ए, सं. 75ए का विस्तार, सं. 76, सं. 86, सं. 87 और सं. 92 का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.24 ए, सं. 29, सं. 56, सं. 91, सं. 93, सं. 96 और सं. 97	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार"

[फा. सं. एनएच-14019/17/2001/पीएंडएम]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की एस.आर.ओ.संख्या 1181 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसमें पिछली बार 8 अगस्त, 2001 के का.आ.सं. 765 (अ) के तहत संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2001

S.O.1191(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Transport, number S.R.O.1181, dated the 4th April, 1957, namely:-

In the said notification, in the Schedule;

- (a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

1	2	3
"1	So much of National Highways No. 4, No. 7 [excluding from Km.9.400 to Km. 34.800 (Hyderabad-Bangalore) and from Km. 447.000 to 474.000 (Nagpur-Hyderabad), No.9 (including portion from Vijayawada to Machilipatnam) excluding Km. 217.0 to 266.4 (from Nandigama to Vijayawada) No. 16, No. 43, No. 63, No. 202, No. 205 and No. 219 as are situated within the State of Andhra Pradesh, and National Highways No. 18 and No. 214.	State Government of Andhra Pradesh";

- (b) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

1	2	3
"2	So much of National Highways No.31 No.31C, No.36, No.39, No.51, No.52B, No.54 [excluding Silchar-Vairangte (Lailapur) portion], No.61, No.62, No. 153 and No.154 as are situated within the State of Assam and National Highways No.31B, No.37 (excluding from Km. 146.000 to Km.164.395 Guwahati Bypass),	State Government of Assam";

No.37A, No.38 and No.152	
--------------------------	--

- (c) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"3	So much of National Highways No. 2, No. 19, No. 28, No. 31 [excluding from Km. 410.000 to Km.447.000 & Km. 470.000 to Km.476.150 (Purnea-Goyerkata)], No. 80, No. 81, No. 98, No. 99 as are situated within the State of Bihar and National Highways No. 28A, No. 30, No. 30A, No. 57, No. 77, No. 82, No. 83, No. 84, No. 85, No.101, No.102, No.103, No. 104, No. 105, No. 106 and No. 107.	State Government of Bihar";

- (d) For serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"4	So much of National Highways No.3 (excluding from Km 561.0 to Km 585.0 from Junction with NH-4 to Mumbai), No.6 (including portion from Dhule to Maharashtra/Gujarat border), [(excluding from Km 149.80 to Km 166.0 (Amravati bypass)], No.7 [excluding from Km.9.200 to Km.64.000 (Nagpur Adilabad)], No.9, No.13, No.16, No.17 and No.69 as are situated within the State of Maharashtra and National Highways No.50, No.204 and No.211.	State Government of Maharashtra";

- (e) for serial number 4A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"4A	So much of National Highways No. 14 [excluding from Km. 340.000 to Km.372.700 (Abu Road-Dessa Section)], No. 15 and No. 59 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No. 8A (including portion from Kandla to Mandvi), No. 8B [excluding from Km.143.000 to Km.160.000 (Gondal Ribda section)], No. 8C, No. 8D and No. 8E.	State Government of Gujarat";

- (f) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"6	So much of National Highways No. 17, No. 47 [excluding from Km.316.00 to Km.332.600 (Aluva-Angamali)] No. 49, No. 208, No.212, No. 220 as are situated within the State of Kerala and National Highways No. 47A and No. 213.	State Government of Kerala";

- (g) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"7	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 60.000 to Km. 103.000 (Agra-Gwalior)] No. 7, No. 12, No.12A, No. 25, No. 26, No. 27, No.59, No. 59A, No. 69, No. 75, Extension of No. 75, No. 76, No. 78, No. 79, No. 86 and No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh and National Highway Extension of No. 86.	State Government of Madhya Pradesh";

- (h) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"8	So much of National Highways No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 103.0 (from Chennai to Ranipet)], No. 7 [(excluding from Km. 33.000 to Km. 94.000 (Hosur to Krishnagiri), Km. 134.000 to Km. 141.000 and Km. 156.000 to Km.207.600 Krishnagiri-Salem-Madurai)] from Km.248.165 to Km.259.230(Namakkal Bypass), from Km.292.400 to Km.306.400 (Karur Bypass)] and No. 45A [(including portion from Tamil Nadu / Pondicherry border to Nagapattinam)], No. 47, No. 49, No. 66, No. 205, No. 207, No. 208, No. 209, No.219 and No. 220 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highways No. 7A, No. 67, No. 68, No. 45B and No. 210.	State Government of Tamil Nadu";

- (i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"9	So much of National Highways No. 4, [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (from Bangalore to Karnataka-Maharashtra border)], No. 4A, No. 7 [excluding from Km. 0.0 to Km. 33.0 (from Bangalore to Karnataka-Tamil Nadu border and Km. 524.000 to Km. 556.000 (Hyderabad-Bangalore)], No.9, No. 13 (including portion from Chitradurga to Mangalore), No. 17, No. 63, No. 207, No. 209 and No. 212 as are situated within the State of Karnataka and National Highways No. 48, No. 206 and No. 218.	State Government of Karnataka";

- (j) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"11	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km.212.000 to Km.387.100 (Haryana /Punjab Border to Jalandhar), No.1A [excluding from Km.4.230 to Km. 26.000 (Jalandhar-Pathankot Section), No.10, No.15, No.20, No.21, No.22, No.70 and No.71 as are situated within the State of Punjab and National Highways No.64 (including portion from Bhatinda to Dabwali) and No.95.	State Government of Punjab";

- (k) for serial number 11A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"11A	So much of National Highways No.1[excluding from Km.29.300 to Km.212.000 (Delhi/Haryana Border to Haryana/Punjab Border)], No.10, No.21A, No.22, No.64, No.65, No.71, No.72 and No.73 as are situated within the State of Haryana and National Highway No.71A.	State Government of Haryana";

- (l) for serial number 11C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"11C	So much of National Highways No.1 [(excluding from Km.8.200 to Km.16.200 and from Km.16.500 to Km. 29.300 forming Delhi (Near Majnu Ka Tila) to	Government of National Capital Territory of Delhi";

	Delhi/Haryana border)], No.10 and No.24 as are situated within the National Capital Territory of Delhi.	
--	---	--

- (m) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"12	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km.30.885 to 51.000 (Uttar Pradesh/Rajasthan Border-Dholpur section)], No. 11, No. 12, No. 14, No. 15, No. 65, Extension. of No. 65, No. 76 (excluding from Chittorgarh to Udaipur), No. 79 (excluding from section Nazirabad to Chittorgarh) as are situated within the State of Rajasthan and National Highways No. 11A, No. 89 and No. 90	State Government of Rajasthan";

- (n) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"13	So much of National Highways No. 2A, No. 3 (excluding from Km. 8.00 to Km. 30.885 (Agra- Uttar Pradesh / Rajasthan Border), No. 7, No. 11, No. 19, No. 24 [excluding from Km. 27.62 to Km. 59.00 (Ghaziabad-Hapur including Hapur bypass) and excluding from Km. 148.43 to Km. 166.65 (Moradabad Bypass)], No. 25 (excluding from Km. 11.380 to Km. 75.500 (Lucknow-Kanpur), No. 26, No. 28, No. 58, No. 72, No. 73, No. 74, No. 75, No. 75A, Extension of No. 75, No. 76, No. 86, No. 87 and No. 92 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No. 24A, No. 29, No. 56, No. 91, No. 93, No. 96 and No. 97	State Government of Uttar Pradesh".

[F.No. NH-14019/17/2001/P&M]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Director

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O.1181 dated 4th April, 1957 and last amended vide S.O. No.765 (E) dated 8th August, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1192(अ).—केंद्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988, (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा संलग्न तालिका के कालम (1) में यथाउल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त तालिका के कालम (2) में उल्लिखित संगत खंडों के उक्त तालिका के कालम (3) में विनिर्दिष्ट भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है -

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	भाग किलोमीटर में
1	2	3
7	नागपुर - हैदराबाद हैदराबाद - बंगलौर खंड (आंध्र प्रदेश राज्य में)	464.00 से 474.000 कि.मी. 9.400 से 22.300 कि.मी.
37	असम राज्य में गुवाहाटी बाइपास खंड	146.000 से 156.500 कि.मी.
31	बिहार राज्य में पूर्णिया - गोरखपुरा खंड	419.000 से 447.000 कि.मी.
7	महाराष्ट्र राज्य में नागपुर - अदीलाबाद खंड	22.850 से 24.650 कि.मी. और 36.600 से 64.000 कि.मी.
14	गुजरात राज्य में आबू रोड - दीसा खंड	350.000 से 372.700 कि.मी.
8 बी	गुजरात राज्य में गोंडल - रिबडा खंड	143.000 से 160.000 कि.मी.
47	केरल राज्य में अलुवा - अंगमाली खंड	316.00 से 332.600 कि.मी.
3	मध्य प्रदेश राज्य में आगरा - ग्वालियर खंड	70.000 से 103.000 कि.मी.

7	बंगलौर - सलेम - मदुरै खंड	163.400 से 207.600 कि.मी.
7	नमकल बाइपास	248.165 से 259.230 कि.मी.
7	करूर बाइपास (तमिलनाडु राज्य में)	292.400 से 306.400 कि.मी.
7	कर्नाटक राज्य में हैदराबाद - बंगलौर खंड	527.000 से 535.000 कि.मी. 539.000 से 556.000 कि.मी.
1	पंजाब राज्य में हरियाणा - पंजाब सीमा से जालंधर	212.000 से 387.100 कि.मी.
1ए	पंजाब राज्य में जालंधर - पठानकोट खंड	4.230 से 26.000 कि.मी.
1	हरियाणा राज्य में दिल्ली हरियाणा सीमा से हरियाणा - पंजाब सीमा	29.300 से 212.000 कि.मी.
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मजनूं का टीला से दिल्ली/हरियाणा सीमा	16.500 से 29.300 कि.मी.
3	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा - उत्तर प्रदेश / राजस्थान सीमा खंड	24.000 से 30.885 कि.मी.
3	उत्तर प्रदेश / राजस्थान सीमा से धौलपुर खंड	30.885 से 41.000 कि.मी.
76	चित्तौड़गढ़ से उदयपुर	114.000 से 220.000 कि.मी.
	उदयपुर बाइपास	6.000 से 17.000 कि.मी.
79	नसीराबाद से चित्तौड़गढ़ (राजस्थान राज्य में)	14.000 से 182.000 कि.मी.
25	लखनऊ - कानपुर खंड	21.800 से 59.500 कि.मी.
56ए	लखनऊ बाइपास	रा.रा.56ए का संपूर्ण खंड
56बी	लखनऊ बाइपास (उत्तर प्रदेश राज्य में)	रा.रा.56बी का संपूर्ण खंड

[फा. सं. एनएच-14019/17/2001-पीएचएम]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2001

s.O. 1192(E).— exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India .

TABLE

National Highway number	Section	Stretches in Kilometer
(1)	(2)	(3)
7	Nagpur Hyderabad Hyderabad-Bangalore section (in the State of Andhra Pradesh)	Km. 464.00 to Km. 474.000 Km.9.400 to Km.22.300
37	Guwahat Bypass section in the State of Assam	Km.146.000 to Km.156.500
31	Purnea-Goyerkata section in the State of Bihar	Km. 419.000 to Km.447.000
7	Nagpur Adilabad section in the State of Maharashtra	Km.22.850 to Km.24.650 and Km.36.600 to Km.64.000
14	Abu Road-Deesa section in the State of Gujarat	Km.350.000 to Km.372.700
8B	Gondal- Ribda section in the State of Gujarat	Km. 143.000 to Km.160.00
47	Aluva-Angamali section in the State of Kerala	Km.316 to Km.332.600
3	Agra Gwalior section in the state of Madhya Pradesh	Km.70.000 to Km.103.000

7	Bangalore-Salem-Madurai section	Km. 163.400 to Km.207.600
7	Namakkal Bypass	Km.248.165 to Km.259.230
7	Karur Bypass (in the State of Tamil Nadu	Km.292.400 to Km.306.400
1A	Jalandhar-Pathankot section in the State of Punjab	Km.4.230 to Km.26.000
1	Delhi Haryana Border to Haryana- Punjab Border in the State of Haryana	Km.29.300 to Km.212.000
1	Majnu Ka Tila to Delhi/Haryana border in the National Capital Territory of Delhi	Km. 16.500 to Km.29.300
3	Agra-Uttar Pradesh / Rajasthan border section in the State of Uttar Pradesh	Km.24.000 to Km.30.885
3	Uttar Pradesh/Rajasthan border to Dholpur section	Km.30.885 to Km.41.000
76	Chittorgarh to Udaipur	Km.114.000 to Km 220.000
	Udaipur Bypass	Km.6.000 to Km 17.000
79	Nasirabad to Chittorgarh (in the State of Rajasthan)	Km.14.000 to Km.182.000
25	Lucknow-Kanpur section	Km.21.800 to 59.500
56A	Lucknow Bypass	The entire stretch of NH-56A
56B	Lucknow Bypass (in the State of Uttar Pradesh)	The entire stretch of N H-56B

[F. No. NH-14019/17/2001-P&M]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.